

प्रतिगठन

प्रतिभाव

राजस्थान सरकार  
कार्यालय शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक: प. 10/सी. शासन-III/की. 302/07/561

जयपुर, दिनांक 20/12/2007

माननीय सांसद,

माननीय विधायक,

जिला प्रमुख,  
जिला परिषद

प्रधान,  
पंचायत समिति

विषय: सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव बाबत।

महोदय,

राजस्थान राज्य में योजनान्तर्गत विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अनुबंध के अनुसार इनके रखरखाव की जिम्मेदारी संवेदक की है।


नयी सड़क जो संवेदक द्वारा बनायी जा रही है, उस सड़क का रखरखाव संवेदक द्वारा 5 वर्ष तक किया जावेगा। यदि पुरानी सड़क का सुदृढीकरण/रिकारपेट किया जा रहा है, तो उस सड़क का रखरखाव संवेदक द्वारा 3 वर्ष तक किया जावेगा।

रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के बारे में माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला प्रमुख एवं प्रधान पंचायत समितियों को भी अवगत किया जावे।

अतः आप अपने अधीनस्थ क्षेत्र में निर्मित सड़कों का रखरखाव संवेदक द्वारा सही प्रकार से किया जा रहा है, के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग को जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे तत्परता से विभाग समय पर उचित कार्यवाही कर सके।

3E/EE II  
MIMY  
CE  
AAV 4358  
26-12-07


राजभाषी

  
(राज भाषी)  
शासन सचिव 20/12/2007

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को पोषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. मिजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, मुख्य अभियन्ता (पथ प्रथम व द्वितीय) / मुख्य अभियन्ता (राज्य मार्ग) / मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Sh. P. S. Meena  
27/12

  
शासन सचिव 20/12/2007

4

4